[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 37/2021-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 01 दिसंबर, 2021

सा.का.नि.........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

.1संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में, -

(i) नियम 137 में, 30 नवंबर, 2021 से, “चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) प्ररुप जीएसटी डीआरसी-03 में, -

(क) शीर्ष में, “या विवरण” शब्दों के पश्चात्, “या प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3) में, “लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्दों के स्थान पर, “लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-1 और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-2ख और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, “यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर”, शब्द और अंकों के पश्चात्, “संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

“क्र.सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद / प्रत्यय	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												।”।

[फा.सं.सीबीआईसी-**20006/32/2021**-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 35/2021-केंद्रीय कर तारीख 24 सितम्बर, 2021, जो सा.का.नि. सं. 659(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।